

२४८

II/नग०/रीवा/2018/०१४२२

३७२

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट,  
रीवा (म0प्र0)

पुनरीक्षण प्र0क्र0— / 18



- 1— ज्वाला प्रसाद मिश्रा, उम्र 70 वर्ष, तनय अयोध्या प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम अमिलिहा, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)
- 2— इन्द्रलाल, उम्र 75 वर्ष, तनय बुद्धसेन मिश्रा, निवासी ग्राम अमिलिहा, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0) ————— आवेदकगण

**विरुद्ध**

- 1— माधव प्रसाद तनय कलई कुशवाहा
- 2— बिहारीलाल तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 3— रामसेवक तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 4— शंकराचार्य तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 5— छोटेलाल तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 6— संतोष कुमार तनय राधेश्याम कुशवाहा  
सभी निवासीगण ग्राम तमरादेश तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)
- 7— म0प्र0 राज्य ————— अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई0 विरुद्ध  
आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी,  
तहसील गुढ़, जिला रीवा जो प्रकरण  
क्रमांक 40/अ-12/2016-17 आदेश  
दिनांक 30/12/2017 में पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1— राजस्व निरीक्षक सर्किल दुआरी, तहसील गुढ़ के पारित आदेश एवं सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

*[Signature]*

२४८

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... दो | ८०/१८ | ०/१५२२ ..... जिला..... रुद्रपुर

..... उवाला शुक्राय ग्रन्थालय ..... विरुद्ध ..... माधव शुक्राय कृशनालय काली

1	2	3
17-१-१९	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... शिव शुक्राय ..... अधिवक्ता द्वारा      यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त तुम्हारा तहसील ..... के      प्रकरण क्रमांक ५०/अ.१२/१६-१७ ..... में पारित      आदेश दिनांक ..... ३०-१२-१७ ..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी      है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये      संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50      सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण      कलेक्टर ..... रुद्रपुर ..... के न्यायालय को अंतरित किया      जाता है। उभयपक्ष दिनांक ..... ४-३-२०१९ ..... को      कलेक्टर ..... रुद्रपुर ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु      उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

निरस्त होने योग्य है।